न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–46 /2024

1. इन्द्राज पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णकुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. बलदेव पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. सुरेश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रोहिताश कुमार पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

1. मुखी पुत्री रूपा पत्नि मनफुल जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भागीरथ पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01

निर्णय दिनांकः– 23/12/2025

अपीलांट इन्द्राज, कृष्णकुमार, बलदेव पुत्रगण भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास एंव सुरेश पुत्र इन्द्राज रोहिताश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासीगण देईदास तहसील नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 6000 दिनांक 24.10.2024 को तहसीलदार नोहर द्वारा स्वीकृत किया गया को, अपास्त करवाने बाबत, अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:43 IST
Reason: SelfAttested

1. रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया नम्बर 1 की तरफ से दो गांव की जमीन वाके रोही मौजा देईदास व भुकरका के पूर्व में हुए नामान्तरण के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में अपील प्रस्तुत की जो देईदास की भूमि खसरा नम्बर 260 रकबा 32 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर बीघा 10 बिस्वा भूमि तथा मौजा भुकरका की भूमि खसरा नम्बर 296 की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

12.191 हैक्टेयर है तथा उक्त भूमि गणेश की थी फिर लेखू इसका पुत्र हुआ लेखू के दो पुत्रिया रूपा व तानी हुई तानी के भागीरथ व अन्य लडके व लडकिया हुए और रूपा के मुखी रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया हुई तथा रूपा दिनांक 10–04–1985 को फौत हो गई तथा तानी ने रूपा का हक मारने के लिए अपने पुत्र भागीरथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से मिलकर भूमि अपने व पुत्र भागीरथ के नाम करवा ली यदि तानी का हिस्सा बनता है तो रूपा का भी हक था ना कि अकेली तानी का तथा इन अलग अलग नामान्तरण से भूमि अपने नाम करवाली तथा दिनांक 22–05–1987 को वसीयत द्वारा भूमि भागीरथ रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करवा दी व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में दावा कर दिनांक 30–05–2002 की डिक्री करवा लिया तथा इसके पश्चात वादग्रस्त भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की नोहर के अदालत में भागीरथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के पुत्रों द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर 3/4 हिस्सा भूमि उनके तीन पुत्रों अपीलांटस नम्बर 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गई तथा 1/4 हिस्सा भागीरथ के नाम दर्ज रही जो उसने अपने पोत्रों अपीलांटस नम्बर 4 व 5 के नाम जरिये दान पत्र दर्ज करवा दी तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध डिक्री के आधार पर नामान्तरण हुए जो सक्षम न्यायालय के द्वारा डिक्री के निरस्त होने से पहले नामान्तरण निरस्त हो सकते है। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील चल रही है। सिविल कोर्ट में वसीयत व दान पत्र को खारिज करने के लिए दावा चल रहा है तथा सिविल कोर्ट में ताफैसला दावा स्थगन आदेश है तथा दावा का निस्तारण आज तक हुआ नहीं है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मुखी की छः अपील दिनांक 20–10–2024 को खारिज फरमा दी गई, जिनकी अपील सभागीय आयुक्त बीकानेर के यहां प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर की छः अपीलों में हुए निर्णय में से तीन अपीलों में निर्णय बहाल रखा है तथा तीन अपील को रिमाण्ड किया गया तथा उक्त तीन रिमाण्ड पत्रावली के हुए निर्णय दिनांक 09.04.2024 के खिलाफ अपीलांटस की तरफ से राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दायर कर रखी है तथा उनमें राजस्व मण्डल अजमेर में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, जो मातहत अदालत में राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश की पालना करने दस्ती दी हुई, जो मातहत अदालत अपने रजिस्टर में दर्ज कर रखी है। मगर पालना हेतु पटवारी हल्का को नहीं भेजी है तथा सिविल कोर्ट के निर्णय का नोट राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में लगा हुआ नहीं है [illegible] समस्त भूमि बैंक के रहन है फिर भी मातहत ने रेस्पोडेन्ट नम्बर [illegible] जो उसकी तरफ से प्रस्तुत नहीं है तथा उसके पुत्र साहबराम की तरफ प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर सम्भाग बीकानेर निर्णय दिनांक 09.04.2024 के द्वारा ग्राम भूकरका के नामान्तरण संख्या 1732 दिनांक 31.03.2004 को निरस्त किया जाकर पूर्व स्थिति बहाल किया जावे, मगर मातहत अदालत ने बिना किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सही जांच किये अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय के खिलाफ अपील राजस्व मण्डल अजमेर में जेरकार है। उसमें स्थगन आदेश जारी है तथा मातहत अदालत में स्थगन आदेश दर्ज है। फिर भी मातहत अदालत के आदेश दिनांक 24.10.2024 के आधार पर नामान्तरण संख्या 6000 दर्ज व तस्दीक कर वाके रौही मौजा भुरका तहसील नोहर के खसरा नम्बर 296 की 12.1910 हैक्टेयर कृषि भूमि का मृतक तानी पुत्री लेखू के नाम किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। जिसमें अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति होती है तथा उक्त नामान्तरण संख्या 6000 दिनांक 24.10.2024 को अपास्त करवाने हेतु यह अपील अपीलांट निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत करते है।

(1) आदेश दिनांक 24.10.2024 जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 6000 दर्ज व तस्दीक किया गया है की समस्त कार्यवाही बखिलाफ कानून, नियम वाक्यात व रूएदाद मिसल है तथा विधि की भंयकर अवहेलना में पारित किया गया है तथा काबिल मन्सूखी है।

(2) मातहत अदालत ने कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई है तथा उक्त प्रकरण में ना तो कोई पत्रावली मूर्तिब की है तथा ना ही अपीलांटस को सुनवाई हेतु कोई नोटिस सम्मन जारी किये है तथा उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ जाते हुए नामान्तरण संख्या 6000 दिनांक 24.10.2024 दर्ज व तस्दीक किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है।

(3) मातहत अदालत ने यह जांच नही की गई की अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर व सम्भगीय आयुक्त बीकानेर के निर्णयों के खिलाफ राजस्व मण्डल अजमेर में अपील जेरकार है तथा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अतिरिक्त सभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय दिनांक 09.04.2024 के खिलाफ स्थगन आदेश पारित किया हुआ है जो मातहत अदालत को अपीलांटस ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगन आदेश की दस्ती लाकर दी हुई, जो उसके डिस्पेच रजिस्टर में दर्ज है, फिर भी मातहत अदालत ने राजास्व रिकार्ड में पूर्व स्थिति बहाल करने का आदेश नियम विरूद्ध पारित नियम विरूद्ध [illegible] है, जो [illegible]नीय है।

(4) वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में हुई [illegible] आदि के खिलाफ रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मुखी की [illegible] तथा सिविल कोर्ट में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध ता फैसला दावा स्थगन आदेश [illegible]र्म किया हुआ है फिर भी अपने आदेश दिनांक 24.10.2024 के आधार पर दर्ज व तस्दीक नामन्तरण संख्या 6000 के आधार पर नामान्तरण संख्या 1732 दिनांक 31.03.2024 से पूर्व स्थिति बहाल करते

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हुए मृतक तानी पुत्री लेखू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए नियम विरूद्ध कार्यवाही की है जो सहज न्याय के खिलाफ है तथा प्रथम दृष्टतया प्रकरण काबिल खारिजी है।

(5) मातहत अदालत ने जब पटवारी हल्का द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर सिविल कोर्ट का स्थगन होने व बैंक के रहण होने सम्बन्धित रिपोर्ट दी है, उसको नजर अन्दाज किया है, साथ ही मातहत अदालत के पास राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश की दस्ती मिलने के उपरान्त उसको अपने डिस्पेच रजिस्टर में दर्ज करने के पश्चात पालना हेतु पटवारी हल्का के पास राजस्व मण्डल अजमेर के स्टेट का नोट राजस्व रिकार्ड अंकित ना करवाकर मातहत अदालत की घोर लापरवाही है तथा एक पक्ष को गलत फायदा पहुंचाने की गरज से गलत राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि करवाई है, जो एक अपराधिक कृत्य है तथा आदेश दिनांक 24.10.2024 व उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक नामान्तरण संख्या 6000 काबिल अपास्तनीय है।

(6) अपील अपीलांट न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है तथा 2/– रूपये की कोर्ट फीस पर पेश व अन्दर मियाद है।

लिहाजा यह अपील अपीलांटस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 6000 दिनांक 24.10.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा नामान्तरण से 1732 दिनांक 31.03.2024 पुनः बहाल फरमाया जावें।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या –01 की ओर से श्री मदन मोहन जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 स्वंय उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–03 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रोही मौजा देईदा[illegible] बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा, रोही मौजा [illegible]रका [illegible] खसरा नं0 296 की 12.191 हैक्टेयर भूमि दादा गणेश [illegible] से पुत्र लेखु के नाम दर्ज हुई। लेखु के दो पुत्रीयां रूपा व तानी हुई। तानी के भागीरथ व अन्य भाई बहन हुए। रूपा के मुखी हुई। रूपा के फौत होनें पर भूमि रूपा एंव पुत्र भागीरथ नाम दर्ज की गई। फिर रूपा ने वसीयत द्वारा भूमि भागीरथ के नाम दर्ज करवा दी। जिसकी अपील माननीय न्यायालय में अलग– अलग नामान्तरण की 6 अपील पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय द्वारा समस्त 6 अपीलों को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर में की गई। माननीय न्यायालय अतिरक्त संभागीय आयुक्त द्वारा छः में से तीन अपील खारिज की गई एंव तीन अपील रिमाण्ड की गई। खारिज की गई अपीलों की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में जैरकार है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आुयक्त द्वारा रिमाण्ड कर पूर्व स्थिति बहाल के आदेश की आधार पर पूर्व स्थिति बहाल करनें हेतु प्रार्थना–पत्र तहसीलदार नोहर के समक्ष पेश किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश में पूर्व स्थित बहाल करके नामान्तरण संख्या 6000 रोही मौजा भूकरका दर्ज किया गया। साहबराम को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करनें का अधिकार नहीं है। माननीय सिविल न्यायालय नोहर द्वारा भी स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। स्थगन आदेश होनें पर नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 6000 दिनांक 21.10.2024 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रूपा दिनांक 10.04.19985 को फौत हुई। तानी द्वारा रूपा का हक मारनें के लिए दिनांक 22.05.1987 को जरिये वसीयत भूमि भागीरथ के नाम करवा दी। बाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में दावा कर अपने पुत्रों के नाम डिक्री करवा दी, जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में की गई। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में चल रही है। न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा पत्रावली को रिमाण्ड कर पूर्व स्थिति के बहाली के आदेश के आदेश के आधार पर तहसीलदार नोहर द्वार प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया है, जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करनें पर न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त के निर्णय की पालना में नामान्तरण संख्या 6000 दिनांक 21.10.2024 तस्दीक किया गया है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय की नामान्तरण संख्या 6000 दिनांक 21.10.2024 को दर्ज करनें में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 46/2024 अनवान इन्द्राज आदि बनाम मुखी आदि

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 23/12/25 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:43 IST
Reason: SelfAttested